न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 770-दो/2016 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 01-02-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 128/2012-13 अपील

श्रीमती स्नेहलता चतुर्वेदी पत्नि संतोष कुमार
निवासी ग्राम चियार तहसील सिरमौर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामबहोर 2- राममणि 3- राजकुमार
4- रामलखन पुत्रगण स्व.गोविन्द राम ब्राहमण
निवासीगण ग्राम ढढनी तहसील मउगॅज
जिला रीवा मध्य प्रदेश
5- रामभिलाष 6- प्रहलाद 7- जगमोहन
पुत्रगण छकौड़ीराम मिश्रा निवासी ग्राम
धुरेहटा कला तहसील मउगॅज जिला रीवा ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डे)
(अनावेदकगण क. 2,4 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 13 - 9 -2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 128/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-2-2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसील न्यायालय में निम्नांकित पक्षकारों के बीच वारिसाना नामान्तरण का प्रकरण क्रमांक 18 अ-6/10-11 प्रचलित हुआ :-

आवेदकगण	अनावेदकगण
1- रामबहोर	1- मुस.सुगनी वेवा ताराचंद
2- रामलखन	2- रामभिलास
3- राममणि	3- प्रहलाद
4- राजकुमार	4- जगमोहन

तहसीलदार के समक्ष भूमि सर्वे क्रमांक 79/1, 81/1, 90/1/क, 94/1, 179/2, 191/1 क, 220/1 क, 225/1, 306/1, 335/1, 336, 374/3 पर वारिसाना नामान्तरण विचार में लिया गया तथा लोक अदालत में उभय पक्ष के बीच हुये राजीनामा को आधार मानकर प्रकरण क्रमांक 18/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 11-12-2010 से नामान्तरण किया गया एंव भूमि सर्वे क्रमांक 2201 तथा 225/1 के विक्रय हो जाने से नामान्तरण से मुक्त रखी गई। इस आदेश विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, मउगॅज के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने प्रकरण क्रमांक 139/अ-6/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-10-12 से आवेदक की अपील ऑशिक रूप से रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर ग्राम दूढनी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 179/2 रकबा 0.235 हैक्टर एंव सर्वे क्रमांक 336 रकबा 0.334 हैक्टर का स्वीकार किया तथा तहसील न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9-9-10 के पश्चात् पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 11-12-10 उक्त भूमि का निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 128/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-2-2016 से अनुविभागीय अधिकारी मउगंज का आदेश दिनांक 16-10-12

निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विक्रय पत्र दिनांक 9-9-2010 प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार ग्राम दूढनी की भूमि सर्वे नंबर 336, 357/4, 179/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.708 हैक्टर तत्समय की भूमिस्वामी महिला सुगनी से रूपये 3,66,000/- में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है और तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 11-12-10 से महिला सुगनी की अन्य भूमियों के साथ विक्रीत भूमियों पर भी वारिसाना नामान्तरण कर दिया। विचार योग्य है कि जब ग्राम दूढनी की भूमि सर्वे नंबर 336, 357/4, 179/2 कुल किता 3 कुल रकबा 0.708 हैक्टर तत्समय की भूमिस्वामी महिला सुगनी ने विक्रय पत्र दिनांक 9-9-2010 से विक्रय कर दीं एंव विक्रय दिनांक 9-9-2010 को इस भूमि पर केता आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व जाग्रत हो गये । महिला सगुनी द्वारा भूमि विक्रय कर देने के कारण उसके विक्रीत भूमि से स्वत्व एंव स्वामित्व लुप्त हो जाने के वाद वारिसाना आधार पर तहसील न्यायालय ने आदेश दिनांक 11-12-10 से महिला सगुनी के वारिसों का नामान्तरण करने में भूल की गई है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मउगंज ने आदेश दिनांक 16-10-12 से तहसीलदार मउगॅज के प्रकरण क्रमांक 18 ए-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 11-12-10 के अॅश भाग को निरस्त किया है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 128/2012-13 अपील में आदेश दिनांक 1-2-2016 पारित करते समय राजीनामे को आधार को लेकर अनुविभागीय अधिकारी मउगंज के

विधिवत् पारित आदेश दिनांक 16-10-12 को निरस्त करने में त्रूटि की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 128/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-2-2016 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 128/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 1-2-2016 त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर